NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 27-11-2024

विषय सूची

भारत का 75वाँ संविधान दिवस

संविधान सभा में महिला सदस्यों की भूमिका

भारत-भूमध्यसागरीय संबंध (India-Mediterranean Relations)

संभल मस्जिद मामले में उपासना स्थल अधिनियम और कानूनी मुद्दे

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024

भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि (Riyadh Design Law) के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए

संक्षिप्त समाचार

गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस

रियांग समुदाय

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (Gelephu Mindfulness City)

राष्ट्रीय युवा संसद योजना (NYPS)

सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (SHKT) तकनीक

www.nextias.com

भारत का 75वाँ संविधान दिवस

सन्दर्भ

- 26 नवंबर, 2024 को भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसे कॉस्टीट्यूशन डे या 'संविधान दिवस' कहा जाता है।

परिचय

- 26 नवंबर, 1949 को, भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया।
- 2015 में, भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने का सम्मान करने के लिए औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया।

भारतीय संविधान का विकास

- **संविधान सभा:**
  - 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें पूरे भारत से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे।
  - डॉ. बी.आर. प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - संविधान का प्रारूप तैयार करने में विधानसभा को 9 दिसंबर, 1946 से 26 नवंबर, 1949 तक लगभग 3 वर्ष लगे।
- **संविधान को अपनाना (1950):**
  - भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जो भारत गणराज्य के जन्म का प्रतीक था।
  - इसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया।
- **संशोधन और विकास:**
  - इसके अपनाने के बाद से, भारतीय समाज और शासन की परिवर्तित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन किया गया है।
  - प्रमुख संशोधनों में शामिल हैं:
    - पहला संशोधन (1951), जिसने कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी।
    - 42वां संशोधन (1976), जिसने आपातकाल के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करना शामिल था।
    - 73वें और 74वें संशोधन (1992), जिसने स्थानीय स्वशासन (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के लिए संवैधानिक मान्यता प्रदान की।
- **न्यायिक व्याख्याएँ और संवैधानिक विकास:**
  - न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - केशवानंद भारती (1973), मेनका गांधी (1978), एवं मिनर्वा मिल्स (1980) जैसे ऐतिहासिक मामलों ने मौलिक अधिकारों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संबंध और शक्तियों के संतुलन की समझ को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है।

प्रमुख संवैधानिक मूल्य

- **संप्रभु:** भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका अर्थ है कि बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना इसका अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण है।

- **लोकतंत्र:** भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां सरकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से लोगों द्वारा चुनी जाती है, और राजनीतिक शक्ति अंततः लोगों के पास होती है।
- **गणतंत्र:** राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक नेतृत्व योग्यता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है।
- **धर्मनिरपेक्ष:** संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों को कानून के तहत समान व्यवहार मिले, धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक भेदभाव से सुरक्षा की गारंटी दी जाए।
- **सामाजिक न्याय:** संविधान का लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सकारात्मक कार्य, आरक्षण और सुरक्षा प्रदान करके एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है।
- **कानून का शासन:** सरकार सहित प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी और सुसंगत है, जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है।
- **संघवाद:** भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, जिससे सरकार के दोनों स्तरों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है।
- **मौलिक अधिकार:** संविधान राज्य या अधिकारियों द्वारा किसी भी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP):** ये सरकार के लिए एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश हैं।
- **राष्ट्र की एकता और अखंडता:** संविधान देश की विशाल विविधता के बावजूद, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय पहचान एवं एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देता है।

भारतीय संविधान के बारे में तथ्य

- भारतीय संविधान सभा का 1934 में आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति एम.एन.रॉय थे। रॉय, एक भारतीय क्रांतिकारी और कट्टरपंथी कार्यकर्ता थे ।
- भारतीय संविधान लिखित या मुद्रित नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा है।
- भारत विश्व में सबसे लंबे लिखित संविधान के लिए प्रसिद्ध है।
- भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।
- जवाहरलाल नेहरू ने वस्तुनिष्ठ संकल्प पेश किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना में विकसित हुआ।

संविधान की चुनौतीपूर्ण विशेषताएं

- **संघवाद बनाम केंद्रीकरण:** सशक्त केंद्र सरकार और राज्यों की स्वायत्तता के बीच तनाव एक चुनौती बना हुआ है, विशेषकर संसाधनों और राजनीतिक शक्ति के वितरण जैसे क्षेत्रों में।
- **मौलिक अधिकार बनाम निदेशक सिद्धांत:** सामाजिक कल्याण लक्ष्यों (निर्देशक सिद्धांतों) के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता (मौलिक अधिकार) को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निदेशक सिद्धांत गैर-न्यायसंगत हैं।
- **सकारात्मक कार्रवाई:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रणाली योग्यता, समानता एवं जाति-आधारित विभाजनों को कायम रखने पर परिचर्चा का विषय है।

- **न्यायिक अतिरेक:** संविधान की व्याख्या करने और कानूनों को रद्द करने में न्यायपालिका की भूमिका को कभी-कभी विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों के अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है।
- **धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक पहचान:** भारत की धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक-आधारित कानूनों की मांग से चुनौती मिलती है, विशेषकर समान नागरिक संहिता और विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों जैसे मुद्दों के संबंध में।
- **मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा:** राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर अधिकारों पर प्रतिबंध (जैसे, राजद्रोह कानून) नागरिक स्वतंत्रता और राज्य नियंत्रण के बीच संतुलन के बारे में चिंता उत्पन्न करते हैं।
- **संवैधानिक संशोधन:** "बुनियादी संरचना" सिद्धांत संविधान में संशोधनों को सीमित करता है, जिससे इस बात पर परिचर्चा होती है कि मूलभूत विशेषताएं क्या हैं जिन्हें बदला नहीं जाना चाहिए।

संविधान दिवस क्यों मनाते हैं?

- **संविधान की विरासत का सम्मान:** संविधान दिवस मनाना संविधान निर्माताओं के बलिदान और प्रयासों का सम्मान करता है।
- **संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों के महत्व को पुष्ट करता है।
- **नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना:** यह नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने तथा उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना:** यह भावी पीढ़ियों को संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।

Source: PIB

संविधान सभा में महिला सदस्यों की भूमिका

सन्दर्भ

- संविधान दिवस (26 नवंबर) पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सभा में महिला सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका को याद किया।

परिचय

- 299 सदस्यीय सभा में 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थीं।
- लेकिन इसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों की कम-ज्ञात महिलाएं भी थीं जिन्होंने लिंग, जाति और आरक्षण पर परिचर्चा में भाग लिया।

संविधान सभा में महिलाओं का योगदान

- **अम्मू स्वामीनाथन (1894-1978):** उन्होंने 1945 में मद्रास से कांग्रेस के टिकट पर केंद्रीय विधान सभा चुनाव लड़ा और फिर संविधान सभा की सदस्य बनीं।
    - अपनी मां के अनुभव को देखने के बाद उन्होंने विधवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों, जैसे सिर मुंडवाना और गहने त्यागने का कठोरता से विरोध किया।
- **एनी मस्कारेने (1902-1963):** उनका जन्म त्रिवेन्द्रम (अब तिरुवनंतपुरम) में एक लैटिन ईसाई परिवार में हुआ था, जो जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था। अपनी सामाजिक स्थिति के बावजूद, उन्होंने कानून का अध्ययन और अध्यापन जारी रखा।

- उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित सरकार के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया।
- **बेगम कुदसिया ऐज़ाज़ रसूल (1909-2001):** मुस्लिम लीग का हिस्सा होने के बावजूद, वह धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध करने वाले कुछ सदस्यों में से थीं। पाकिस्तान के विचार पर उनके विचार अधिक जटिल थे।
- **दक्षिणायनी वेलायुधन (1912-1978):** वह कोचीन (अब कोच्चि) में विज्ञान में स्नातक करने वाली पहली दलित महिला थीं और कोचीन विधान परिषद में पहली दलित महिला थीं।
    - वह पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता पर अंबेडकर से असहमत थीं और कहती थीं कि यह प्रावधान राष्ट्रवाद के खिलाफ है।
- **रेणुका रे (1904-1997):** 1920 में गांधी जी के साथ एक मुलाकात के कारण उन्हें कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना पड़ा, जहां वह जागरूकता बढ़ाने के लिए घर-घर गईं।
    - उन्होंने 1943 में केंद्रीय विधान सभा में महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व किया और फिर संविधान सभा की सदस्य बनीं।
- **राजकुमारी अमृत कौर:** स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, वह संविधान सभा की सदस्य भी थीं।
    - वह महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने के साथ सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा पर चर्चा में गहराई से शामिल थीं।
- **कमला देवी:** एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी, ने भी संविधान सभा में भाग लिया।
    - वह महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थीं, विशेषकर शिक्षा, सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में।
- **मुथुलक्ष्मी रेड्डी:** उन्होंने विवाह और तलाक से संबंधित कानूनी सुधारों सहित महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया।

संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी का महत्व

- संविधान सभा में महिलाओं को शामिल करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं को समान भागीदार के रूप में मान्यता मिलने का संकेत मिला।
- उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय का समर्थन किया।
- संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 42 के साथ लैंगिक समानता को शामिल करने का समर्थन किया।
- हिंदू कोड बिल, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की मांग की गई थी, महिला नेताओं द्वारा चल रही चर्चा और सक्रियता से प्रभावित था।

Source: IE

भारत-भूमध्यसागरीय संबंध (India-Mediterranean Relations)

सन्दर्भ

- रोम में MED मेडिटेरेनियन डायलॉग के 10वें संस्करण में एक महत्वपूर्ण संबोधन में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बीच संबंधों को मजबूत करने के पारस्परिक लाभों पर बल दिया।

भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बारे में

- इसमें दक्षिणी यूरोप (स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा एवं साइप्रस) शामिल हैं; उत्तरी अफ्रीका (मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया,

अल्जीरिया और मोरक्को), तथा पश्चिम एशिया के कुछ हिस्से (तुर्की; सीरिया; लेबनान; इज़राइल एवं फिलिस्तीन)।

- यह विशाल क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से वैश्विक वाणिज्य, संस्कृति और राजनीति का केंद्र है, ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ व्यापक सहयोग देखा है।

भारत-भूमध्यसागरीय संबंध

- **ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** ऐतिहासिक रिकॉर्ड रोमन साम्राज्य और यूनानियों के साथ मजबूत व्यापार संबंधों का संकेत देते हैं। भारत के मालाबार तट पर मुज़िरिस का प्राचीन बंदरगाह शहर एक हलचल भरा व्यापारिक केंद्र था जहाँ मसालों, विदेशी जानवरों और सोने का आदान-प्रदान होता था।
    - इस ऐतिहासिक संबंध ने समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान की नींव रखी जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करना जारी रखता है।
- **सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व:** भूमध्य सागर की रणनीतिक स्थिति इसे भारत के भू-राजनीतिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। यह क्षेत्र एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करता है, जिससे इन महाद्वीपों में भारत की कनेक्टिविटी बढ़ती है।
    - यह कनेक्टिविटी भारत की इंडो-पैसिफिक नीति के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है।
- **राजनीतिक और रक्षा सहयोग:** अधिक संयुक्त अभ्यासों और आदान-प्रदान के माध्यम से बढ़ते रक्षा सहयोग के साथ, भूमध्यसागरीय देशों के साथ भारत के राजनीतिक संबंध मजबूत हैं।
    - इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व I2U2 समूह में भारत की भागीदारी से रेखांकित होता है, जिसमें आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात तथा अमेरिका शामिल हैं।
    - भारत और इटली समझौतों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अपने रक्षा संबंधों को बढ़ा रहे हैं जिसमें समुद्री डोमेन जागरूकता, सूचना साझाकरण एवं रक्षा उत्पादन सहयोग शामिल हैं।

- **आर्थिक और व्यापार संबंध:** भूमध्यसागरीय देशों के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ गया है, जो वार्षिक लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
    - इस व्यापार को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उर्वरक, ऊर्जा, जल प्रौद्योगिकी, हीरे, रक्षा और साइबर क्षमताएं शामिल हैं।
    - भारतीय कंपनियां पूरे क्षेत्र में हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे और हरित हाइड्रोजन पहल जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
- **कनेक्टिविटी:** भारत-भूमध्यसागरीय संबंधों में एक प्रमुख विकास भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) है, जिसकी घोषणा 2023 में भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी एवं एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात,सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल थे।
- **सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध:** भूमध्यसागरीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, जिसमें लगभग 460,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 40% इटली में हैं।
    - यह प्रवासी भारत एवं भूमध्यसागरीय देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत के प्रभाव से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

- **भू-राजनीतिक स्थिरता:** भूमध्यसागरीय क्षेत्र में प्रायः राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष होते हैं, विशेषकर पश्चिम एशिया में।
    - चल रहे संघर्ष, जैसे कि इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दा और सीरिया एवं लीबिया में तनाव, भारत के राजनयिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
    - IMEC की सफलता क्षेत्रीय संघर्षों पर नियंत्रण पाने और भाग लेने वाले देशों के बीच निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है
- **ऊर्जा सुरक्षा:** मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से तेल और गैस के महत्वपूर्ण आयात के साथ, भूमध्यसागरीय क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
    - क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना एक प्रमुख चिंता का विषय है।
    - इसके अतिरिक्त, हरित हाइड्रोजन पहल जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भारत के हितों के लिए मजबूत साझेदारी और निवेश की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय संघर्ष और सुरक्षा:** इस क्षेत्र को समुद्री डकैती, अवैध समुद्री गतिविधियों और गाजा एवं लेबनान जैसे क्षेत्रों में संघर्षों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों पर नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
    - पश्चिम एशिया में युद्धविराम के लिए भारत का आह्वान और इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में दो-राज्य समाधान का समर्थन क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
    - इसके अतिरिक्त, इज़राइल और ईरान दोनों के साथ भारत का जुड़ाव क्षेत्रीय कूटनीति के प्रति उसके संतुलित दृष्टिकोण को उजागर करता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत का प्रभाव बहुआयामी है, जिसमें आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं।
- इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए भू-राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक एकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय संघर्षों की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

- IMEC एवं सक्रिय कूटनीति जैसी पहलों के माध्यम से, भारत अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है और भूमध्यसागरीय क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दे सकता है।

Source: IE

संभल मस्जिद मामले में उपासना स्थल अधिनियम और कानूनी मुद्दे

समाचार में

- हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संभल में जामा मस्जिद एक प्राचीन हरि हर मंदिर स्थल पर बनाई गई थी।

मस्जिद का इतिहास

- **निर्मित:** मुगल सम्राट बाबर के सेनापति, मीर हिंदू बेग, 1528 के आसपास।
- **वास्तुकला:** प्लास्टर के साथ पत्थर की चिनाई, बदायूँ की मस्जिद के समान।
- **ऐतिहासिक दावे:** हिंदू परंपरा मानती है कि इसमें एक प्राचीन विष्णु मंदिर के कुछ हिस्से शामिल हैं।

हालिया मामले के बारे में

- संभल की एक जिला अदालत ने एक याचिका के बाद शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि इसे 1526 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा एक हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया गया था।
- याचिकाकर्ताओं (एक स्थानीय महंत और वकील हरि शंकर जैन सहित) ने साइट के धार्मिक चरित्र को बदलने की मांग की।
  - सर्वेक्षण, विशेष रूप से 24 नवंबर को इसके दूसरे चरण के बाद, संभल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिससे हिंसा और पुलिस गोलीबारी हुई।

विधिक सन्दर्भ

- मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है।
- अदालत का आदेश एकपक्षीय पारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि याचिका दोनों पक्षों को सुने बिना स्वीकार कर ली गई, जिससे निष्पक्षता की चिंता बढ़ गई।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की भूमिका

- **पृष्ठभूमि:** बाबरी मस्जिद विवाद के अतिरिक्त, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के संबंध में हिंदू समूहों के दावों के बाद उपासना स्थल अधिनियम, 1991 लागू किया गया था।
  - इस अधिनियम का उद्देश्य उपासना स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना है जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को थे, और इन स्थलों पर आगे के विवादों को रोकना था।
- **अधिनियम का उद्देश्य:** अधिनियम का लक्ष्य किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्थिर करना था जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था।
  - इसने पूजा स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति के संबंध में किसी भी समूह द्वारा नए दावों को रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की मांग की।

- **अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:** पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहना चाहिए जो 15 अगस्त, 1947 को था।
  - यह किसी पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय या धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है।
  - 15 अगस्त, 1947 तक उपासना स्थलों की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में सभी लंबित कानूनी कार्यवाही समाप्त की जानी थी।
  - विधिक कार्यवाही केवल तभी जारी रह सकती है यदि वे कट-ऑफ तिथि (15 अगस्त, 1947) के बाद स्थिति में परिवर्तन की चिंता करते हैं।
- **अपवाद:** अधिनियम प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन स्मारकों या अधिनियम के शुरू होने से पहले निपटाए गए किसी भी विवाद पर लागू नहीं होता है।
  - यह अधिनियम अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को बाहर करता है।
- **दंडात्मक प्रावधान:** पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास (3 वर्ष तक) और जुर्माना का सामना करना पड़ता है।
  - जो लोग ऐसे कार्यों को बढ़ावा देते हैं या उनमें भाग लेते हैं वे भी दंड के पात्र हैं।

अधिनियम को चुनौतियाँ

- कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो एक बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत है।
- कानून एक मनमानी, अतार्किक पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि (15 अगस्त, 1947) लागू करता है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह अन्यायपूर्ण है।
- यह दावा किया जाता है कि यह कानून हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को विवादित धार्मिक स्थलों पर दावा करने से रोककर उनके धर्म के अधिकार का हनन करता है।

अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण

- 2022 में, उच्चतम न्यायलय ने कहा कि 15 अगस्त, 1947 को वर्तमान किसी स्थान के धार्मिक चरित्र की जांच की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक प्रकृति को बदलना निषिद्ध है।
  - पूजा स्थलों के रूपांतरण पर 1991 के कानून के प्रतिबंधों के बावजूद, इस व्याख्या ने जिला न्यायालयों के लिए ऐसे मुकदमों की सुनवाई का द्वार खोल दिया है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- हाल के मामले ऐतिहासिक स्मारकों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करने के नाजुक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा और धार्मिक अधिकारों जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को संतुलित करने की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
- अंततः, यह देखा जाना बाकी है कि क्या कानूनी प्रणाली पूजा स्थल अधिनियम के उद्देश्य को बरकरार रखने में सक्षम होगी या क्या अदालतें अपवादों के लिए जगह पाएंगी, जैसा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने विशिष्ट विवादित धार्मिक स्थलों पर दावों की अनुमति देने का सुझाव दिया है।
- मामला लगातार विकसित हो रहा है, और आगामी सुनवाई में न्यायालय का हस्तक्षेप संभवतः इन विवादों के भविष्य के पाठ्यक्रम को आकार देगा।

Source: TH

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024

सन्दर्भ

- केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 'बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024' का वार्षिक प्रकाशन जारी किया।

पशुपालन क्या है?

- पशुपालन कृषि की वह शाखा है जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर और मुर्गी जैसे पालतू जानवरों के प्रजनन, पालन-पोषण तथा देखभाल से संबंधित है।
- यह दूध, मांस, अंडे और अन्य पशु-आधारित उत्पादों के उत्पादन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत में छोटे कृषक परिवारों की आय में पशुपालन का योगदान 16% है।
  - यह भारत की लगभग 8.8% जनसँख्या को रोजगार प्रदान करता है।

BAHS-2024: मुख्य निष्कर्ष

- 2023-24 में दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन था, जो पिछले दशक की तुलना में 5.62% की वृद्धि और 2022-23 की तुलना में 3.78% की वृद्धि दर्शाता है।
  - **शीर्ष उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश (16.21%), राजस्थान (14.51%) और मध्य प्रदेश (8.91%)।
  - भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है।
- 2023-24 में अंडे का उत्पादन 142.77 बिलियन अंडे था, जिसमें पिछले दशक में 6.8% की वृद्धि और 2022-23 में 3.18% की वृद्धि हुई।
  - **शीर्ष उत्पादक राज्य:** आंध्र प्रदेश (17.85%), तमिलनाडु (15.64%) और तेलंगाना (12.88%)।
  - भारत विश्व भर में दूसरे स्थान पर है।
- 2023-24 में कुल मांस उत्पादन 10.25 मिलियन टन था, जो पिछले दशक में 4.85% की वृद्धि और 2022-23 में 4.95% की वृद्धि दर्शाता है।
  - **शीर्ष उत्पादक राज्य:** पश्चिम बंगाल (12.62%), उत्तर प्रदेश (12.29%) और महाराष्ट्र (11.28%)
- 2023-24 में कुल ऊन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, 2019-20 से गिरावट देखी गई।
  - **शीर्ष उत्पादक राज्य:** राजस्थान (47.53%), जम्मू और कश्मीर (23.06%) और गुजरात (6.18%)।

पशुपालन में चुनौतियाँ

- **रोग प्रबंधन:** खुरपका-मुंहपका रोग और एवियन इन्फ्लूएंजा जैसे प्रकोप उत्पादकता को खतरे में डालते हैं।
- **चारे और चारे की कमी:** गुणवत्तापूर्ण चारे और चारे की अपर्याप्त उपलब्धता से लागत बढ़ जाती है और उत्पादन कम हो जाती है।
- **कम उत्पादकता:** विदेशी नस्लों की तुलना में स्वदेशी नस्लों की पैदावार कम होती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ता तापमान और अनियमित मौसम पैटर्न पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** अपर्याप्त कोल्ड चेन, भंडारण सुविधाएं और पशु चिकित्सा सेवाएं विकास में बाधा डालती हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** इसे स्वदेशी मवेशियों की उत्पादकता और आनुवंशिक सुधार बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** यह पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य में सुधार और चारे एवं चारा संसाधनों के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष (DIDF):** यह दूध प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF):** यह डेयरी और मांस प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LHDC) कार्यक्रम:** यह पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए रोग निगरानी, निदान और उपचार को मजबूत करता है।
- **पशु आधार:** पशुधन के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली, जो बेहतर प्रबंधन और ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है।

आगे की राह

- **तकनीकी हस्तक्षेप:** सटीक खेती को अपनाना, प्रजनन में AI और जलवायु-लचीला अभ्यास।
- **क्षमता निर्माण:** किसानों को आधुनिक तकनीकों और रोग प्रबंधन में प्रशिक्षण देना।
- **नस्ल सुधार:** आनुवंशिक विविधता को बनाए रखते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्रॉसब्रीडिंग कार्यक्रम।

Source: PIB

भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि(Riyadh Design Law) के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए

सन्दर्भ

- भारत ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपनी बौद्धिक संपदा (IP) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रियाद डिजाइन कानून संधि (DLT) पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- यह संधि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के तहत लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद अपनाई गई।
- यह संधि औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने, कई न्यायालयों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करने का प्रयास करती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सुव्यवस्थित डिजाइन सुरक्षा का लाभ सभी हितधारकों के लिए सुलभ है, जिसमें छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs), स्टार्टअप और स्वतंत्र डिजाइनरों पर विशेष बल दिया गया है।

संधि के प्रमुख प्रावधान

- DLT ने डिजाइन आवेदकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रावधान प्रस्तुत किए हैं, जिनमें शामिल हैं;
    - समय सीमा में छूट और खोए हुए अधिकारों की पुनर्स्थापना,

- प्राथमिकता वाले दावों को सही करने या जोड़ने का विकल्प,
- असाइनमेंट और लाइसेंस रिकॉर्ड करने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं, और
- एक ही एप्लिकेशन में एकाधिक डिज़ाइन फ़ाइल करने का विकल्प।

- यह संधि अनुबंध करने वाले पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिजाइन प्रणालियों को लागू करने और प्राथमिकता वाले दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

IPR की सुरक्षा में भारत की पहल

- राष्ट्रीय IPR नीति 2016 सभी IPR को एक एकल दृष्टि दस्तावेज़ में शामिल करती है और IP कानूनों के कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करती है।
    - यह नीति आविष्कारकों, कलाकारों और रचनाकारों के लिए मजबूत सुरक्षा एवं प्रोत्साहन प्रदान करके नवाचार तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है।
- **IPR संवर्धन और प्रबंधन कक्ष (CIPAM):** इसकी स्थापना राष्ट्रीय IPR नीति के कार्यान्वयन में समन्वय के लिए की गई है।
- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM)**, शैक्षणिक संस्थानों में IP जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम।
- **स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) की सुविधा के लिए योजना:** इसे स्टार्टअप्स को उनकी IP संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

निष्कर्ष

- भारत द्वारा रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर करना उसके बौद्धिक संपदा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना जैसी पहलों के साथ संयुक्त होने पर, ये प्रावधान स्टार्टअप और SMEs को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर तथा बाजार विकास का समर्थन करके सशक्त बनाने में सहायता करेंगे।

बौद्धिक संपदा क्या है?

- बौद्धिक संपदा (IP) का तात्पर्य मस्तिष्क की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिज़ाइन; तथा वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम एवं चित्र।
- IP कानून में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क द्वारा संरक्षित है, जो लोगों को उनके आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है।
- नवप्रवर्तकों के हितों और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच सही संतुलन बनाकर, IP प्रणाली का लक्ष्य ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जिसमें रचनात्मकता एवं नवाचार विकसित हो सकें।

बौद्धिक संपदा के प्रकार

- **पेटेंट:** पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है, जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर, कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है, या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है।
- **कॉपीराइट:** यह एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर उनके अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

- **ट्रेडमार्क:** यह एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है।
- **औद्योगिक डिज़ाइन:** यह किसी वस्तु के सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू का गठन करता है।
- भौगोलिक संकेत और उत्पत्ति के पदवी उन वस्तुओं पर उपयोग किए जाने वाले संकेत हैं जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं जो मूल रूप से उस मूल स्थान के लिए जिम्मेदार होती हैं।
- व्यापार रहस्य गोपनीय जानकारी पर IP अधिकार हैं जिन्हें बेचा या लाइसेंस दिया जा सकता है।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस

सन्दर्भ

- नौवें सिख गुरु के बलिदान का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है।

गुरु तेग बहादुर के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन:** उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था और वह छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे।
  - गुरु तेग बहादुर को युवावस्था में तेयाग मल के नाम से जाना जाता था और बाद में उनके पिता ने उन्हें "तेग बहादुर" की उपाधि दी।
  - 1664 में, वह नौवें सिख गुरु बने।
- **योगदान:** उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, सिख संस्थानों को मजबूत किया, और एक गहन आध्यात्मिक विरासत छोड़ते हुए, गुरु ग्रंथ साहिब में 700 से अधिक भजन जोड़े।
- **शिक्षाएँ:** गुरु ग्रंथ साहिब में उनके भजन आध्यात्मिक मुक्ति, मानवाधिकार और समानता पर बल देते हैं।
  - गुरु तेग बहादुर ने सहिष्णुता का समर्थन किया और अत्याचार का विरोध किया।

ऐतिहासिक महत्व

- हिंद की चादर (भारत की ढाल) के रूप में सम्मानित गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।
- 1675 में, औरंगजेब के शासन के तहत जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते हुए, वह दिल्ली में शहीद हो गए।
- उनकी शहादत का स्थान अब गुरुद्वारा सीस गंज साहिब द्वारा चिह्नित है।

Source: IT

रियांग समुदाय

सन्दर्भ

- रियांग समुदाय के सदस्यों ने सरकार से उनकी भाषा काबरू को मान्यता देने का अनुरोध किया।

परिचय

- जातीय रियांग समुदाय ने मांग की है कि त्रिपुरा में होजागिरी दिवस पर छुट्टी घोषित की जाए, जो पारंपरिक होजागिरी नृत्य का जश्न मनाता है।
- रियांग त्रिपुरा का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।
- यह भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है।
- कौबरू ब्रू जातीय लोगों की मौखिक भाषा है।
    - ब्रू थाईलैंड, लाओस और वियतनाम में रहने वाला एक स्वदेशी जातीय समूह है।
- धर्म के आधार पर वे हिंदू हैं और उनके अधिकांश देवता हिंदू आस्था के देवी-देवताओं के समान हैं।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs)

- 1973 में, ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) के लिए एक अलग श्रेणी की स्थापना की।
- 1975 में, संघ ने 52 आदिवासी समूहों को PTGs के रूप में पहचाना।
- 1993 में, सूची में 23 और समूह जोड़े गए। बाद में, 2006 में, इन समूहों को PVTGs नाम दिया गया।
- भारत में जनजातीय समूहों में PVTGs सबसे कमजोर समूह है।
- इन समूहों में आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, कम साक्षरता, शून्य से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और पिछड़ापन है।
    - इसके अतिरिक्त, वे भोजन के लिए शिकार और कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी पर काफी हद तक निर्भर हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, ओडिशा में PVTGs की सबसे बड़ी जनसँख्या है, इसके बाद मध्य प्रदेश है।

Source: IE

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी(Gelephu Mindfulness City)

समाचार में

- भूटान के प्रधान मंत्री शेरिंग टोबगे ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सम्मेलन के दौरान गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) को भूटान की सबसे बड़ी "सहकारी परियोजना" के रूप में उजागर किया।

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) के बारे में

- यह भूटान में एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, जिसकी परिकल्पना महामहिम राजा जिग्मे ने की थी, जिसमें आर्थिक विकास को जागरूकता, समग्र जीवन और स्थिरता के साथ मिश्रित किया गया था।
- यह रणनीतिक रूप से दक्षिण एशिया, आसियान और चीन के चौराहे पर स्थित है।
- इसका लक्ष्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक आदान-प्रदान का केंद्र बनना है। भूटान के स्थिर शासन, समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का लाभ उठाना
- **महत्व:** यह जागरूक और सामंजस्यपूर्ण शहरी विकास के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए तैयार है।

- यह शहर व्यवसायों और निवासियों के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए भूटान के सांस्कृतिक मूल्यों और मजबूत शासन के साथ आर्थिक प्रगति को एकीकृत करता है।

Source: TH

राष्ट्रीय युवा संसद योजना (NYPS)

समाचार में

- राष्ट्रीय युवा संसद योजना (NYPS) के वेब पोर्टल की 5 वीं वर्षगांठ मनाई गई।

राष्ट्रीय युवा संसद योजना (NYPS) के बारे में

- संसदीय कार्य मंत्रालय ने देश के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों तक मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करने के लिए 26 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना (YPS) का वेब पोर्टल लॉन्च किया।
- NYPS 2.0 इसलिए शुरू किया गया है ताकि देश के सभी नागरिक पोर्टल पर भाग ले सकें -
  - **संस्थागत भागीदारी:**संस्था भागीदारी के माध्यम से, देश के सभी शैक्षणिक संस्थान युवा संसद बैठक (YPS) का संचालन कर सकते हैं।
  - **समूह भागीदारी:** समूह भागीदारी के माध्यम से देश के सभी नागरिक औपचारिक या अनौपचारिक समूह बनाकर YPS का संचालन कर सकते हैं।
  - **व्यक्तिगत भागीदारी:** व्यक्तिगत भागीदारी के माध्यम से, देश के सभी नागरिक "भारतीय लोकतंत्र क्रियान्वित" विषय पर प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं।

Source: PIB

सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (SHKT) तकनीक

सन्दर्भ

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने हाइड्रो श्रेणी के तहत स्वदेशी रूप से विकसित सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (SHKT) तकनीक को मान्यता दी है।

परिचय

- SHKT, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए व्यावहारिक रूप से शून्य संभावित शीर्ष के साथ बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है।
  - पारंपरिक इकाइयाँ आवश्यक 'हेड' के निर्माण के लिए बांध, डायवर्सन वियर और बैराज के निर्माण के माध्यम से पानी की संभावित ऊर्जा का उपयोग करती हैं।
- **महत्व:**
  - सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन स्थापित करना आसान और लागत प्रभावी है, इसकी उत्पादन लागत ₹2-3 प्रति यूनिट है।
  - यह तकनीक नवीकरणीय ऊर्जा खरीदारों और जनरेटर दोनों के लिए लाभ की स्थिति प्रदान करती है।
  - इस तकनीक में नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए बहुत सारे अवसरों के साथ GW पैमाने पर बड़ी संभावनाएं हैं, जिससे बिजली क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

- यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है।
- **कार्य:**
  - बिजली क्षेत्र की योजना, विकास और प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सरकार को तकनीकी और नीतिगत परामर्श प्रदान करता है।
  - राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) और ट्रांसमिशन योजना तैयार करता है।
  - विद्युत उपकरण, ग्रिड प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार।
  - बिजली आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रिड ऑपरेटरों के साथ समन्वय करके राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करता है।

Source: PIB

■■■■